न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 50 / 2018 **दायरा दिनांक : 03.04.2018**

उनवान

बजरंगा पुत्र छपना, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र लक्ष्मण लाल, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– जानकी बाई बेवा रामकल्याण, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– राधेश्याम पुत्र रामकल्याण, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– गुलाब चन्द पुत्र रामकल्याण, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– निर्मला पुत्री रामकल्याण, जाति माली, निवासी रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.10.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 167/12/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद की विवादित आराजी कुल 39 बीघा 5 बिस्वा पर ज्यानाबाई पुत्री छपना को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए 1/2 हिस्से पर वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 लगायत 6 को खातेदार घोषित कर बंटवारे का आदेश व डिक्री पारित कर त्रुटि की है । विवादित आराजी 39 बीघा 5 बिस्वा के 3/4 भाग पर अपीलांट बजरंगा एवं 1/3 हिस्से पर मृतक ज्यानाबाई पुत्री छपना सन् 1964 से खातेदार चली आ रही है । यह आराजी छपना के खाते की थी । छपना की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 18.05.1964 तस्दीक कर बजरंगा का 2/3 हिस्सा एवं ज्याना बाई का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया, जिस पर मृतक ज्यानाबाई की सहमति थी उस पर उसका अंगूठा निशानी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण पर उचित गौर नहीं फरमाकर और बिना किसी आधार के मृतक ज्याना बाई का 1/2 हिस्सा घोषित कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 का वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक है । विवादित आराजी के बारे में ज्यानाबाई पुत्री छपना ने अपने जीवनकाल में सन् 1964 से लेकर आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी के बाबत कोई कार्यवाही नहीं की एवं इंतकाल नम्बर 22 ज्याना बाई की सहमति से खोला गया था । ज्याना बाई की मृत्यु के बाद उनके तथाकथित पुत्र छीतर जो कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 हैं एवं रामकल्याण जो रेस्पोडेंट क्रम 2 लगायत 6 के पिता हैं ने भी अपने जीवनकाल में विवादित आराजी पर कोई कार्यवाही एवं चाराजोही नहीं की । रामकल्याण की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार घोषित किया गया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ज्याना बाई अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरे पति के यहां किशनगंज में नाते चली

गयी, उसके मरने के बाद तीसरे पति लक्ष्मण के यहां नाते चली गई उसके नुत्फे से छीतर व रामकल्याण पैदा हुए, जिनका छपना के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः वादग्रस्त आराजी पर उनका हक एवं अधिकार नहीं है । छपना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व ही हो चुकी थी । ऐसी स्थिति में विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अपीलांट एक मात्र खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । अतः अपीलांट का काउंटर क्लेम डिक्री होने योग्य था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2018 अपास्त किया जाये एवं अपीलांट का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए अपीलांट को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर न दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में बजरंगा का 2/3 हिस्सा है और रेस्पोडेंट का 1/3 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार छपना है जिसकी मृत्यु सन् 1964 में हुई । नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 18.05.1964 को तस्दीक हुआ है । रेस्पोडेंट की मॉ ज्याना बाई ने अपनी सहमति दी की 2/3 हिस्सा बजरंगा का और 1/3 हिस्सा ज्याना बाई का है । ज्याना बाई का 2004 में मृत्यु हो गयी । ज्याना बाई ने अपने जीवनकाल के दौरान सन् 1964 से 2004 तक उपरोक्त इन्द्राज को भी चैलेन्ज नहीं किया गया है । रामकल्याण पुत्र ज्याना ने भी अपने जीवनकाल में उपरोक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री में ज्याना बाई का 1/2 हिस्सा व बजरंगा का 1/2 हिस्सा माना है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा था । छपना की मृत्यु सही है । नामान्तरकरण संख्या 22 ही विवादित है । यह विवादित नहीं है कि ज्याना छपना की पुत्री है । छपना की कोई सहमति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः हमने बंटवारे का दावा किया कि हमारा 1/2 हिस्सा बनता है । छीतर व रामकल्याण ज्यानाबाई के बेटे हैं इसकी शहादत हमने पेश की है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । नामान्तरकरण संख्या 22 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि छपना की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा मृतक छपना का नामान्तरकण तस्दीक किया गया है जिसमें बजरंगा को मृतक छपना का दत्तक पुत्र मानते हुए 2/3 एवं ज्याना बाई जो मृतक छपना की एक मात्र पुत्री है का 1/3 हिस्सा तस्दीक किया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 22 के सम्बन्ध में कोरम में जो समीक्षा की गई है उसमें पुनः पूर्ववत तथ्यों की पुष्टि करते हुए बजरंगा को 2/3 हिस्सा एवं ज्याना बाई पुत्र छपना को उपरोक्त 1/3 हिस्से का काश्तकार घोशित किया है । प्रदर्श पी 2 में यह आलेखित है कि ज्याना बाई एक अर्से से दूसरे पति को नाते कर लिया था। ततपश्चात छपना के मरने के बाद से बजरंगा 2/3 हिस्से को काश्त करता आ रहा है । अंतिम संस्कार बजरंगा ने किया है । अतः छपना के खाते की 2/3 हिस्सा बजरंगा के खाते व 1/3 हिस्सा ज्याना के खाते दर्ज हो । क्योंकि छपना ने इसी प्रकार अपनी जिन्दगी में बंटवार करवाया था और उसी प्रकार मुताबिक काश्त भी चली आ रही है जिसे सरपंच के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है एवं ज्याना बाई के भी हस्ताक्षर हैं । इंतकाल नम्बर 22 दिनांक 18.05.1964 में दर्ज किया गया है । ततपश्चात ज्याना बाई के जीवन काल में कभी भी इंतकाल नम्बर 22 को चैलेन्ज नहीं किया गया है उसी प्रकार ज्याना बाई एवं बजरंगा का काश्त करना बयानों में भी सिद्ध है । इंतकाल नम्बर 22 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ततसमय छपना की पुत्री ज्याना बाई के द्वारा एक पारिवारिक बंटवारा के अन्तर्गत अपना कुछ हिस्सा बजरंगा को रिलीज करना प्रतीत होता है एवं उसी अनुसार बजरंगा एवं ज्याना बाई की काश्त

होना पाया जाता है तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज होकर खातेदारी दर्ज होना भी पाया जाता है । अतः इतने वर्षों के पश्चात रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 के द्वारा दावा कर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं वह तर्क संगत नहीं है । अपीलांट सन् 1964 से उपरोक्त विवादित आराजी का 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित है परन्तु अपीलांट के द्वारा यह क्लेम करना कि 1/3 हिस्से का भी उसको खातेदार घोषित किया जाये उचित नहीं है । अतः रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त विवादित अइाराजी के 1/3 हिस्से तक के ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 अपास्त किया जाता है । अपीलांट को पुनः उपरोक्त विवादित आराजी का 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रेस्पोडेंट जो कि उपरोक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं उसी अनुसार उनका हिस्सा निर्धारित किया जाता है । अतः अपीलांट का जो काउंटर क्लेम है वह खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा